

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री अर्जुन सिंह फतेह सिंह सोलंकी, निवासी 107, केवल कॉम्पलेक्स, नवागाम, डीन्डोली
रोड़, उधना, सूरत गुजरात **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 109/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 03.02.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से क्रमांक : भू.अ./सू.अ./2025/1661 दिनांक 24.01.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री अर्जुनसिंह पिता श्री फतेहसिंह सोलंकी द्वारा दिनांक 24.10.2024 को चाही गई सूचना तैयार कर दिनांक 22.11.2024 को पत्र द्वारा प्रार्थी को सूचना कार्यालय से प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया था जिस पर प्रार्थी स्वयं ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना कुल 3 किता प्राप्त कर ली गई है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाएं अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	




लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद